

संचालनालय कोष एवं लेखा
मध्यप्रदेश

क्रमांक/डी.टी.ए./IFMIS/माइग्रेसन/16/822
प्रति

भोपाल, दिनांक 06/01/2016

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष
मध्यप्रदेश
- 2- समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय :- वर्ष 2016 एवं 2017 में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों का एम्प्लॉई डाटा वेरीफिकेशन के संबंध में ।

संदर्भ:-संचालनालय कोष एवं लेखा का क्र./डी.टी.ए./IFMIS/माइग्रेसन/15/718-719भोपाल,
दिनांक 18 /11/2015

आई.एफ.एम.आई.एस परियोजना अंतर्गत पेंशन माड्यूल का शीघ्र ही पायलट प्रारंभ किया जाना है। इस हेतु समस्त कर्मचारियों का डाटा वेरीफिकेशन आहरण संवितरण अधिकारियों के स्तर पर किया जाना होगा, जिसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश संदर्भित पत्र द्वारा दिये गए हैं। प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 2016 में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों का एम्प्लॉई डाटा वेरीफिकेशन किया जाना है। जिससे कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण आई.एफ.एम.आई.एस. परियोजना अंतर्गत पेंशन माड्यूल में किया जा सके।

कृपया वर्ष 2016 में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का डाटा सत्यापन दिनांक 10.01.2016 तक तथा शेष कर्मचारियों का डाटा सत्यापन दिनांक 31.01.2016 तक करने हेतु समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

Ashwin
5.1.2016

वि.क.अ.सह-आयुक्त
कोष एवं लेखा

भोपाल दिनांक 06/01/2016

पृ0क्रमांक/डी.टी.ए./IFMIS/माइग्रेसन/16/823
प्रतिलिपि :-

- 1- महालेखाकार, ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।
- 2- समस्त कोषालय अधिकारियों की ओर प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित तिथि तक उक्त कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें ।

Ashwin
5.1.2016

वि.क.अ.सह-आयुक्त
कोष एवं लेखा